भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4083

दिनांक 19.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

हर घर नल से जल योजना की प्रगति में तीव्रता

4083. श्री अनिल फिरोजियाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा राज्यों में हर घर नल से जल योजना की प्रगति में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का देश में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बाढ़ प्रभावित और सूखाप्रवण क्षेत्रों की समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए नई योजनाएं कार्यान्वित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ किस प्रकार समन्वय सुनिश्चित कर रही है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग) अगस्त 2019 से, भारत सरकार राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल को लागू कर रही है, ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल का प्रावधान किया जा सके, *जिसमें बाढ़ प्रभावित और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के परिवार शामिल* हैं।

अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, दिनांक 15.12.2024 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल के तहत लगभग 12.13 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 15.12.2024 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.36 करोड़ (79.35%) से अधिक परिवारों के पास नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

मिशन को कार्यान्वित करते समय, बाढ़, लू आदि जैसी विकट स्थितियों के दौरान पेयजल आपूर्ति के प्रबंधन को महत्व दिया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, भूमि खिसकने, भूकंप के प्रभाव से सुरक्षा के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति अवसंरचना के स्थानों का सावधानीपूर्वक चयन करें; व्यवहार्य अवसंरचना का निर्माण करें; भूकंप/बाढ़ अथवा चक्रवात/भू-स्खलन संभावित क्षेत्रों के लिए जारी कोडल प्रावधानों का अनुपालन करें।

इसके अलावा, तटीय क्षेत्रों, बाढ़ प्रवण क्षेत्रों, हिमालयी राज्यों आदि जैसे आपदा प्रवण क्षेत्रों के लिए राज्यों को हैंडपंपों/नल कनेक्शनों के लिए प्लेटफार्मों को ऊंचा करने, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में अंतरिम समाधान के रूप में कार्य करने के लिए समय-समय पर उनकी कार्यशीलता सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, निकटतम संभावित सुरक्षित स्थानों पर स्थायी मोबाइल जल शोधन संयंत्रों को लगाने की योजना बनाने और इन संयंत्रों की एक सूची तैयार करने; पूर्वनिर्धारित आपातकालीन जल आपूर्ति किट शिविरों और अन्य बड़े पैमाने पर विस्थापन स्थितियों में पहुंच को सक्षम बनाने, शुद्धिकरण किट की पर्याप्त आपूर्ति करने; प्रभावित क्षेत्र में मोबाइल जल शोधन संयंत्रों की स्थापना करने; फील्ड परीक्षण किटों का उपयोग करके रोग पर्यवेक्षण के संदर्भ में जल गुणवत्ता निगरानी करने की भी परिकल्पना की गई है।

इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में जल आपूर्ति स्कीमों को पुन: बहाल करने हेतु कार्य शुरू करने के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में फ्लेक्सी निधियों का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, पूरे देश में जेजेएम की तीव्र आयोजना और कार्यान्वयन के लिए आवधिक रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्य परिपूर्णता योजनाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) पर संयुक्त चर्चा करना तथा उसे अंतिम रूप देने, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और ज्ञान साझा करने के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक टीम द्वारा क्षेत्र का दौरा करने आदि जैसे कार्य किए जा रहे हैं। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत कार्यसंबंधी दिशानिर्देश; ग्रामीण परिवारों हेतु सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों तथा वीडब्ल्यूएससी के लिए *मार्गदर्शिका* और आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं तथा विद्यालयों में पाइपगत जलापूर्ति प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान संबंधी दिशानिर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं। इसके अलावा, जल गुणवत्ता परीक्षण और रिपोर्टिंग का विस्तार करने, पेयजल स्रोतों की निगरानी, स्वच्छता सर्वेक्षण, प्रयोगशालाओं की स्थापना, आदि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों और स्थानीय ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन हेतु पेयजल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण फ्रेमवर्क भी जारी किया गया है। इसके अलावा, ऑनलाइन निगरानी के लिए, जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड की स्थापना की गई है। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन के लिए भी प्रावधान किया गया है।

*****